

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- रमेश देव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 54/2023

पवन कुमार पुत्र श्री रामेश्वर लाल जाति माहेश्वरी निवासी नगराना तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ़ (राज.)



1. श्रीमती अनिता पत्नी श्री लखन पाल करवा
2. लखन पाल करवा पुत्र श्री ओमप्रकाश
3. श्रीमती सुशीला पत्नी श्री ओमप्रकाश करवा
4. संदेश करवा पुत्र श्री लखन पाल करवा
5. उत्तम सिंह पुत्र कालू

6. कर्मजीत कौर पुत्री बलजिन्द्रसिंह
7. कुलदीप पुत्र बलजिन्द्र सिंह
8. चरणजीत कौर पुत्री बलजिन्द्र सिंह
9. जसवन्त सिंह पुत्र विचित्र सिंह
10. परमजीत कौर पुत्री बलजिन्द्र सिंह
11. परमेश्वरी पुत्री हरदत सिंह
12. पाली पुत्र कालू
13. मलकीत कौर पत्नी बलजिन्द्र सिंह
14. हरजिन्द्र सिंह पुत्र आत्मा सिंह
15. हरनेक सिंह पुत्र विचित्र सिंह

16. लालसिंह पुत्र मु. देवासिंह जाति तरखान साकिन दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

17. जगतार सिंह पुत्र सज्जन सिंह जाति तरखान साकिन दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

18. बलजिन्द्र सिंह पुत्र बलवीर सिंह
19. जोगेन्द्र सिंह पुत्र मोदन सिंह
20. बलजीत सिंह पुत्र मोदन सिंह
21. बलवीर कौर पुत्री कोडो

22. पंजाब नैशनल बैंक शाखा दीनगढ़ जरिये शाखा प्रबन्धक
23. पंजाब नैशनल बैंक शाखा संगरिया जरिये शाखा प्रबन्धक
24. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

समस्त जाति माहेश्वरी निवासी
वार्ड नं. 22 संगरिया तह.
संगरिया जिला हनुमानगढ़
(राज.)

जाति समस्त तरखान साकिन
बोलावाली तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़ (राज.)

जाति समस्त तरखान साकिन
बंबीहा तहसील व जिला बटिण्डा
(पंजाब)

वाद पत्र अं. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

दिनांक :- 23.06.2023

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ रमेश देव (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाष लिम्बा वकील वादीगण मिन जामिन मुदई व श्री सन्तोष गोदारा, श्री गुरविन्द्र सिंह राजपाल वकील प्रतिवादीगण पेश होने पर तहसीलदार (राजस्व) संगरिया के पत्रांक प्रा डिक्री/भूअ./23/..... दिनांक से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा सहमति देने पर वादीगण का वादपत्र मुताबिक खाता विभाजन अन्य सहकार्यकारों अन्तिम डिक्री किया जाता है।

चक नं. 5 ए.एम.पी. जं.सं. 2073-76 खाता सं. 110/8



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

1. वादी पवन कुमार के हक हिस्सा व कब्जा काश्त की कृषि भूमि :-

प.नं. 174/144 मु.नं. 23 कि.नं. 14/0.253 है.

कुल 0.253 है. कृषि भूमि।

2. प्रतिवादी सं. 1 अनिता करवा के हक हिस्सा व कब्जा काश्त की कृषि भूमि :-

प.नं. 174/143 मु.नं. 12 कि.नं. 18,19,20/0.253 है.प्र., कुल 0.759 है।

3. प्रतिवादी सं. 2 लखनपाल करवा के हिस्सा व कब्जा काश्त की कृषि भूमि :-

प.नं. 174/143 मु.नं. 12 कि.नं. 21,22,23/0.253 है.प्र., कुल 0.759 है।

4. प्रतिवादी सं. 3 सुशीला के हिस्सा व कब्जा काश्त की कृषि भूमि :-

प.नं. 174/144 मु.नं. 23 कि.नं. 8/0.253 है., 9/0.127 है. कुल 0.380 है।

5. प्रतिवादी सं. 4 संदेश करवा के हक हिस्सा व कब्जा काश्त की कृषि भूमि :-

प.नं. 174/144 मु.नं. 23 कि.नं. 12,13/0.253 है. कुल 0.506 है।

प.नं. 173/143 मु.नं. 13 कि.नं. 25/0.253 है. कुल 0.253 है।

योग 0.759 है।

6. प्रतिवादी सं. 6,7,8,10,13 कर्मजीत कौर, कुलदीप सिंह, चरणजीत कौर, परमजीत कौर, पुत्र/पुत्रियां बलजिन्द्र सिंह, मलकीत कौर पत्नी बलजिन्द्र सिंह के हक हिस्सा व कब्जा काश्त की कृषि भूमि :-

प.नं. 174/144 मु.नं. 23 कि.नं. 2,3,4/0.253 है.प्र., कुल 0.759 है।

7. प्रतिवादी सं. 14 हरजिन्द्र सिंह के हक हिस्सा व कब्जा काश्त की कृषि भूमि :-

प.नं. 174/144 मु.नं. 23 कि.नं. 1,10,11/0.253 है.प्र., 9/0.126 है. कुल 0.885 है।

8. प्रतिवादी सं. 17 जगतार सिंह के हक हिस्सा व कब्जा काश्त की कृषि भूमि :-

प.नं. 174/144 मु.नं. 23 कि.नं. 17/0.253 है. कुल 0.253 है।

उक्तानुसार खाता विभाजन कर रकमराज अलग से कायम की जाकर उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे व अन्य प्रतिवादीगण का नाम कब्जा काश्त के अभाव में नियमानुसार कलमजन किये जावे।


2
3/6/23

नोट :-यदि डिक्रीत वादी / प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नहीं है तो अमल दरामद मुताबिक हक-हिस्सा किया जावे।

निज......निल......मुब्लिक......निल......बाबत......निल......खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तकको अदा करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 22/6/2023 को जारी किया गया।




23/6/23
(रमेश देव)

सहायक कलक्टर एवं 2023
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

किरदानी